



प्रधान महालेखाकार कार्यालय (लेखापरीक्षा I), केरल, तिरुवनंतपुरम
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT I),
KERALA, THIRUVANANTHAPURAM



No.Au/Admn.V/7-2/2024-25/

Date: 14.06.2024

अनुभागीय आदेश सं. 104/SECTIONAL ORDER NO. 104

श्री सुरकुमार वी, सहायक पर्यवेक्षक, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा I), केरल, शा. त्रिशूर को दिनांक 13.05.2024 के उनके अनुरोध के आधार पर के.सि.से. पेंशन नियम, 2021 के नियम 43 उप-नियम (1) और उप-नियम 4 (ए) और (बी) के अनुसार 30.06.2024 अप. से सरकारी सेवा से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी जाती है।

चूंकि नियम 43 उप-नियम (1) के अनुसार 03 महीने की नोटिस अवधि को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सीसीएस पेंशन नियम, 2021 के नियम 43 उप-नियम 4 (ए) और (बी) में उल्लिखित शर्तों को लागू करते हुए रियायत दी गई है, इसलिए श्री सुरकुमार वी, सहायक पर्यवेक्षक तीन महीने की नोटिस अवधि की समाप्ति से पहले अपनी पेंशन के एक हिस्से के रूपांतरण के लिए आवेदन नहीं करेंगे।

Based on his request dated 13.05.2024, Shri. Surakumar V, Assistant Supervisor, O/o the Principal Accountant General (Audit I), Kerala, Br. Thrissur is permitted to retire voluntarily from Government Service w.e.f 30.06.2024 AN according to Rule 43 sub-rule (1) & sub-rule 4 (a) & (b) of CCS Pension rules, 2021.

As the notice period of 03 months as per Rule 43 sub-rule (1) has been relaxed by the competent authority invoking the conditions mentioned in Rule 43 sub-rule 4 (a) & (b) of CCS Pension Rules, 2021, Shri. Surakumar V, Assistant Supervisor shall not apply for commutation of a part of his pension before the expiry of the notice period of three months.

(प्र.म.ले. के दिनांक 12.06.2024 के आदेश देखें)

(Vide orders dated 12.06.2024 of PAG)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)

Senior Audit Officer (Administration)

प्रतिलिपि/ Copy to:

1. सभी समूह अधिकारी/ All Group Officers
2. प्रधान महालेखाकार के सचिव (लेखापरीक्षा I और II)/ Secretary to Pr.AG (Audit I&II)
3. कल्याण अधिकारी/ Welfare Officer
4. वरिष्ठ ले.प.अ./का. स्था. (बिल/ रोकड़ /ह.) (ले.प. I और II)/ Sr.AO/OE(Bills/Cash/Entt) (Au I&II)
5. वरिष्ठ ले.प.अ./ओई (शा. त्रिशूर)/ Sr. AO/OE (Br. Thrissur)
6. वरिष्ठ ले.प.अ./सामान्य (ले.प. I और II)/ Sr. AO/ General (Au I & II)
7. पीएओ/I/II/III/ PAO/I/II/III
8. कल्याण अनुभाग/ Welfare section
9. ओई (शा. त्रिशूर)/ओई (बिल/रोकड़ /हकदारी) (लेखा परीक्षा I और II)/ OE (Br.Thrissur)/OE (Bills/Cash/Entitlement) (Audit I&II)

10. सी. कक्ष /सामान्य/आईए/आईटीएस/हिंदी कक्ष (लेखा परीक्षा I और II)
/C.Cell/General/IA/ITS/Hindi Cell (Audit I&II)
11. पेंशन इकाई (ले.प. I और II)/ Pension Unit (Au I&II)
12. श्री सुरकुमार वी, सहायक पर्यवेक्षक/ Shri. Surakumar V, Asst. Supervisor
13. सेवा संघ/ Service Associations
14. व्यक्तिगत फ़ाइल/ Personal file
15. वि.आ.पुस्तिका / S.O Book